न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

<u>प्रार्थना पत्र/एल.आर./381/2012/बीकानेर</u>

माधोसिंह दत्तक पुत्र गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी पुरानी गिन्नाणी तहसील जिला बीकानेर।

...अपीलार्थी

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी तसींग तहसील बहरोड जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार।

...प्रत्यर्थीगण

एकल–पीठ
श्री डी.आर.मीणा, सदस्य

<u>उपस्थितः</u>
श्री हगामीलाल चौधरी उप राजकीय अभिभाषक।

———

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 20–03–2012

यह प्रकरण आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा आदेश दिनांक 01–12–2011 से मण्डल को हस्तांतरित किया गया है। आयुक्त, उपनिवेशन के समक्ष लम्बित अपील में उनके द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी की अधिकारिता वाले आवंटन अधिकारी के विरूद्ध आयुक्त, उपनिवेशन द्वारा सुनवाई किये जाने संबंधी प्रश्न पर मुख्य विधि सहायक की राय ली गई। उक्त राय के अनुरूप राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उक्त मार्गदर्शन पत्रांक प.4(4)उप./2000 दिनांक 09–11–2011 के क्रम में यह अपील सुनवाई हेतु मण्डल को हस्तांतरित की गई है।

2. अपीलार्थी व उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं हैं। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक को प्रकरण की ग्राह्यता के स्तर पर सुना गया।

3. इस प्रकरण में निर्णय का प्रमुख बिन्दु यह है कि क्या आयुक्त, उपनिवेशन उनके समक्ष लम्बित अपील को मण्डल को हस्तांतरित करने हेतु सक्षम है और मण्डल इस प्रकार हस्तांतरित प्रकरण को निर्णित करने में विधिक रूप से सक्षम है।

4. यह तथ्य निर्विवाद है कि उपनिवेशन आयुक्त के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपील राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्र) नियम, 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। उपनिवेशन आयुक्त ने अपील में आक्षेपित आवंटन आदेश आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त (प्रशासन) पारित किये जाने के कारण अपील की सुनवाई आयुक्त, उपनिवेशन द्वारा की जाना उपयुक्त नहीं मानते हुए राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। किसी अपील की सुनवाई एक न्यायिक प्रक्रिया है और इस न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रशासनिक कार्यवाही के आधार पर कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में मात्र राज्य सरकार के निर्देशों के आधार पर किसी प्रकरण विशेष को उच्चतर न्यायालय में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

5. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 जिसके अन्तर्गत समस्त राजस्व न्यायालय न्यायिक कार्य करती हैं उनमें किसी भी न्यायालय को ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं है, जिससे वह उनके समक्ष लम्बित अपीलों को बिना किसी सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के आदेश के दूसरे न्यायालय को हस्तांतरित कर सके और अपने से उच्चतर न्यायालय को हस्तांतरित करने का तो क्षेत्राधिकार किसी भी नियम अथवा अधिनियम में प्रदत्त नहीं किया गया है। यदि राज्य सरकार द्वारा आयुक्त उपनिवेशन के समक्ष लम्बित किसी प्रकरण विशेष को राजस्व मण्डल को हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया है तो वह प्रकरण विशेष में पारित आदेश के माध्यम से ही किया जा सकता है, जबकि इन प्रकरणों में राज्य सरकार के निर्देश की प्रति तक संलग्न नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में किसी सामान्य प्राशसनिक निर्देश के आधार पर उच्चतर न्यायालय को हस्तांतरित किये गये प्रकरण की सुनवाई मण्डल द्वारा की जाना विधिसम्मत नहीं होगा। इस संबंध में हम राजस्व भू राजस्व अधिनियम की धारा 23 को उद्धृत करना उचित समझते हैं, जो निम्नानुसार है :–

"23 Controlling Power- (1) The control of all non-judicial matters connected with revenue in the State, other than matter connected with settlement, is vested in the State Government and the control of all judicial matters and of all matters connected with settlement is vested in the Board.
(2) The expression "judicial matter" means a proceeding in which a revenue court or officer has to determine the rights and liabilities of the parties thereto and the proceeding and orders as well as appeals, revision and references in the case specified in the First Schedule shall be deemed to be judicial matters for the purposes of this Act."

इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार का राजस्व न्यायालयों में लम्बित विधिक प्रकरणों पर कोई नियंत्रण नहीं है, अतः राज्य सरकार के प्रशासनिक निर्देश के आधार पर प्रकरण को मण्डल को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

6. सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप यदि यह मान भी लिया जाए कि अपील अथवा निगरानी मण्डल में पोषणीय है तो भी अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे अपीलांट को अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाती। क्योंकि यह पक्षकार का अधिकार है कि वे अपनी अपील को किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है अथवा नहीं ?

7. यहाँ हम राजस्थान रेवेन्यू कोट्स मैन्युअल भाग–प्रथम के नियम–35 को भी उद्धृत करना उचित समझते हैं, जो निम्नानुसार है :–

"35. Mode of presenting application.-Except as provided otherwise every appeal or application to the Board shall be presented by the party in person, his recognised agent, or his advocate, pleader, vakil or revenue agent.; it shall not be received from any other persons not through the post. The name of the person who presents the application as well as the date shall be written on it."

उक्त नियम के अनुसार भी कोई अपील अथवा निगरानी मण्डल में डाक द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती और केवल पक्षकार अथवा उसके अधिकृत

प्रतिनिधि ही व्यक्तिशः उपस्थित होकर मण्डल में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस आधार पर भी इन अपीलों का प्रस्तुतीकरण वर्तमान स्वरूप में मण्डल में उचित नहीं है।

8. जहाँ तक अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील की पोषणीयता का प्रश्न है, यहां हम संबंधित नियमों के नियम 23(1) व (2) को उद्धृत करना उचित हैं, जो निम्नानुसार है :–

> **"23. Appeal and Revision.-** (1) Any person aggrieved by an order passed by an Allotting Authority may within 30 days from the date of such order, appeal to the Colonisation Commissioner.
> (2) Any person aggrieved [by a final order] of the Colonisation Commissioner whether passed in appeal or otherwise may within 60 days of the date of such order, file revision to the Board of Revenue for Rajasthan."

9. इन नियमों से स्पष्ट है कि आवंटन अधिकारी द्वारा पारित आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त, उपनिवेशन को की जायेगी। आवंटन आदेश, अतिरिक्त आयुक्त एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये जाने पर प्रथम अपील की सुनवाई आयुक्त उपनिवेशन द्वारा किये जाने का प्रश्न आर.आर. डी. 1999 पृष्ठ 97 में भी तय किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में नियम 23 को विश्लेषित करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है :–

> ''उक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि नियमों के नियम 23(1) आवंटन अधिकारी के द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की दिनांक से 30 दिवस की अवधि के अन्दर आयुक्त, उपनिवेशन के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है तथा नियमों के नियम 23(1) के अन्तर्गत आयुक्त, उपनिवेशन द्वारा पारित अंतिम आदेश से व्यथित हुए व्यक्ति, आदेश की दिनांक से 60 दिवस की अवधि में इस न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर सकता है। यह एक स्वीकृत व निर्विवाद तथ्य है कि प्रस्तुत दोनों अपीलें विद्वान आवंटन अधिकारी के आदेश दिनांक 28–1–85 से व्यथित होकर संबंधित अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है जो स्पष्टतया नियमों के नियम 23 (1) की परिधि में आता है और उक्त अपीलें नियमों के

नियम 23(1) के अन्तर्गत आयुक्त, उपनिवेशन के श्रवणाधिकार की अपीलें हैं। यह सही है कि आयुक्त, उपनिवेशन की अपीलीय शक्तियां अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन (इ.गा.न.प.) बीकानेर को, जो कि आवंटन अधिकारी भी हैं, को प्रत्यायोजित की हुई है जिसके कारण ही वे स्वयं के द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध प्रथम अपील सुनने को सक्षम व अधिकृत नहीं है, किन्तु आयुक्त, उपनिवेशन की अपीलीय शक्तियां अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन को भी प्रत्यायोजित करने से उनके स्वयं की अपील सुनने की शक्तियों का अपत्यजन (abdiction) नहीं हो जाता है। अतः आयुक्त, उपनिवेशन, इन अपीलों को सुनने को सक्षम व अधिकृत है और ये अपीलें उनके ही श्रवणाधिकार में आती हैं। स्पष्ट है कि ये अपीलें उक्त न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु संबंधित अपीलार्थीगण को लौटाये जाने योग्य हैं।''

10. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक भी इस विधिक स्थिति से सहमत हैं कि किसी न्यायालय को अपने से उच्चतर न्यायालय को प्रकरण स्थानांतरित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है और उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत के संदर्भ में मण्डल में केवल नियम 23(2) के अन्तर्गत निगरानी पोषणीय है।

10. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि आयुक्त उपनिवेशन द्वारा प्रकरण को सुनवाई हेतु मण्डल को हस्तांतरित किया जाना विधिक एवं नियमानुसार नहीं है। अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील की पोषणीयता के संबंध में विधिक आदेश पारित करें तथा अपील उनके समक्ष पोषणीय नहीं होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी को लौटावे।

11. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डी.आर. मीणा)
सदस्य